

प्रेषक

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 17 जनवरी, 2014

विषय वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि का धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी इलाहाबाद के पत्र संख्या-60/आपदा-बाढ़-प्राक्कलन 2013-14, दिनांक 17-12-2013 तथा पत्र संख्या-74/आपदा-बाढ़-प्राक्कलन 2013-14, दिनांक 21-12-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्य/परियोजना जो जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित है, के परिप्रेक्ष्य में कुल 22 सड़कों की मरम्मत हेतु रु० 288.18 लाख की मांग की गयी है। इन 22 सड़कों में से रु० 10.00 लाख से कम आगणन के 08 सड़कों के प्रस्ताव को छोड़ते हुये शेष 14 सड़कों हेतु प्रस्तावित धनराशि रु० 258.11 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रु० 1,29,05,500/- (कुल रुपये एक करोड़ उन्तीस लाख पाँच हजार पाँच सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके नियंत्रण पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं०	कार्य का नाम	मार्ग की लम्बाई	आगणन (लाख रु० में)	स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)
1	बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त एक आ सुल्तानपुर मार्ग का मरम्मत कार्य।	5.00 किमी०	32.26	16.13
2	कौडिहार मस्जिद से अहमदपुर डाँठ हुट नरहा दादगपुर तक मार्ग।	7.00 किमी०	38.36	19.18
3	बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त छिदिरपुर डाँठ मार्ग का मरम्मत कार्य।	1.00 किमी०	15.45	7.725
4	बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हाथगढ़ से चकरी डाँठ हुट लखिया तक मार्ग का मरम्मत कार्य।	6.00 किमी०	16.91	8.455

5	बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त कौडिहार से खिंदरपुर हात हुए कुरसर घाट तक मार्ग का मरम्मत कार्य।	7.00 किमी०	22.97	11.485
6	धुरपुर प्रतापपुर मार्ग के किमी० ९ में अतिवृष्टि/बाढ़ से ध्वस्त सड़क के निर्माण का कार्य।	1.000 किमी०	11.82	5.91
7	पहाड़ी घाट धुर्मी पिपराव मार्ग में क्षतिग्रस्त पुलिया एवं मार्ग के निर्माण का कार्य।	1.000 किमी०	12.76	6.38
8	बलहरा मानपुर सम्पर्क मार्ग के बाढ़ से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य।	0.700 किमी०	11.19	5.595
9	जसरा ररा मुण्डरा मार्ग में अतिवृष्टि/बाढ़ से ध्वस्त सड़क के निर्माण का कार्य।	1.000 किमी०	10.64	5.32
10	बरियाराम सरायममरज सम्पर्क मार्ग के अतिवृष्टि/बाढ़ से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य।	0.700 किमी०	15.89	7.945
11	जसरा चिल्ला गौहानी सम्पर्क मार्ग के बाढ़ से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य।	1.500 किमी०	25.92	12.96
12	छतहरा से मुरहटा सम्पर्क मार्ग के बाढ़ से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य।	0.100 किमी०	10.83	5.415
13	चित्तौरी से जसरा सम्पर्क मार्ग के बाढ़ से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य।	0.050 किमी०	11.14	5.57
14	पूरेकिन्नर सम्पर्क मार्ग के बाढ़ से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य।	1.500 किमी०	21.97	10.985
कुल योग			258.11	129.055

8/11/2012

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजन-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षों के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं।

शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आकलित लागत का ही धनावहन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शाओपओ-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-राओ-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यूओपीओ.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यूओओ-2/1-11-2013-राओ-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचन/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

